न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 26/2024

अनवान : –

1. विकलेश कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाति जाट साकिन रतनुपरा तहसील नोहर।
2. महावीर प्रसाद पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।
3. सुरेश कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाति जाट साकिन रतनुपरा तहसील नोहर।
4. पुष्पा पुत्री महावीर प्रसाद जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।

–प्रार्थीगण

बनाम्

1. गोपीराम पुत्र चन्दुराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :–**श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी**

निर्णय **दिनांक:** 07/8/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 11 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 79/75 की कुल 0.5060 हैक्ट भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथ रोही मौजा चक 11 केएनएन के खाता स0 68/68 की कुल 2.1500 हैक्ट भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रार्थीगण अपने खेत में जाने के लिए गांव से चलकर अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज रोही मौजा चक 11 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 68/68 के प0न0 326/373 मु0न0 44 के किला न0 1/2 में से होकर अपने खेत में प्रवेश करता है यही रास्ता सबसे सुविधाजनक व व नजदीक रास्ता है इसलिए प्रार्थीगण अपने खेत मे रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय प्रार्थना पत्र है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि रोही मौजा चक 11 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 68/68 के प0न0 326/373 मु0न0 44 के किला न0 1/2 की 0.2270 हैक्ट भूमि में से 0.013 हैक्ट दक्षिण साईड में पूर्व से पश्चिम रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश फरमावे तथा रास्ता के बदले की भूमि मं किला न0 10 में से अप्रार्थी के चिपती भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज की जावे।

प्रार्थना पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता इकबाल प्रार्थना पत्र पेश किया जाकर निवेदन किया की प्रार्थना पत्र मायल मुताबिक मुन्दुआ स्वीकार किया जाता है तो हम अप्रार्थीगण को कोई ऐतराज नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.08 16:37:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 11 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 68/68 के प0न0 326/373 मु0न0 44 के किला न0 1/2 की 0.2270 हैक्ट भूमि में से 0.013 हैक्ट दक्षिण साईड में पूर्व से पश्चिम रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश फरमावे तथा रास्ता के बदले की भूमि मं किला न0 10 में से अप्रार्थी के चिपती भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज की जावे। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर ईकबाल प्रार्थना पेश किया जा चुका है अर्थात प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में किसी को कोई ऐतराज नही है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में निवेदन किया की प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई ऐतराज नही है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 11 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 79/75 की कुल 0.5060 हैक्ट भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथ रोही मौजा चक 11 केएनएन के खाता स0 68/68 की कुल 2.1500 हैक्ट भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अप्रार्थीगण द्वारा इकबाल जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई ऐतराज नही है। किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिए रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है एवं गैरसायलान की सहमति के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 11 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 68/68 के प0न0 326/373 मु0न0 44 के किला न0 1/2 की 0.2270 हैक्ट भूमि में से 0.013 हैक्ट दक्षिण साईड में पूर्व से पश्चिम रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ता के बदले की भूमि में किला न0 10 में से अप्रार्थी के चिपती भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज की जावे। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार नोहर को पालना हेतु पृथक से आदेश जारी किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 07/8/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.08 16:37:32 IST
Reason: SelfAttested